निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 29.04.2022 को रोहतास जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं. 120 के (201.665- 245.665 Km) पथांश के (चैनेज नं. 201.665- 219.265 तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (Four Lane) कार्य से प्रभावित होने वाले / Transplant किये जाने वाले / पातित किये जाने वाले वृक्षों का गणना पत्रक (Tree Protection) के करने में बाधक वृक्षों के विस्थापन / पुनर्स्थापन / पातन के संबंध में Online हुई बैठक का कार्यवाही:–

रोहतास जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं. 120 के (201.665-245.665 Km) पथांश के (चैनेज नं. 201.665- 219.265 तक) के निर्माण कार्य में सड़क के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षों का पातन कर पारगमन देने हेतु अनुमति प्रदान करना :–

रोहतास जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं. 120 के (201.665-245.665 Km) पथांश के (चैनेज नं. 201.665- 219.265 तक) के निर्माण कार्य में सड़क के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षों का पातन कर पारगमन कार्य से प्रभावित हाने वाले / Transplate किये जाने वाले / पातित किये जाने वाले वृक्षों का गणना पत्रक (Tree Protection) में बाधक वृक्षों के विस्थापन / पुनर्स्थापन / पातन का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्राप्त हुआ है। समर्पित प्रस्ताव के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 सह पठित ज्ञापांक 673 दिनांक 01.09.2019 द्वारा गठित समीति से निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

संलग्न प्रस्ताव में राष्ट्रीय उच्च पथ सं. 120 के (201.665-245.665 Km) पथांश के (चैनेज नं. 201.665- 219.265 तक) के निर्माण कार्य में सड़क के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षों का पातन कर पारगमन कार्य से प्रभावित हाने वाले / Transplate किये जाने वाले / पातित किये जाने वाले वृक्षों का गणना पत्रक (Tree Protection) में बाधा उत्पन्न करने वाले कुल 2283 वृक्षों की गणना की गई है जिसमें 1515 वृक्षों को स्थल पर ही बने रहने हेतु चिन्हित, 600 वृक्षों का पुनर्स्थापन तथा 168 वृक्षों के पातन का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

Sl. No.	Tree to be translocated	Tree Marked to be felled	Trees left as it is	Total Trees
1	600	168	1515	2283

वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 600 जीवित वृक्षों का पुनर्स्थापन स्वयं के व्यय पर चिन्हित स्थल पर किया जायेगा एवं अगले तीन वर्षों तक इसका रख–रखाव कार्य किया जायेगा।
2. पातित किये जाने वाले 168 वृक्षों के पुनर्स्थापन के फलस्वरूप जीवित रहने की संभावना नहीं है अतः इन 168 पौधों के पातन का निर्णय लिया गया। पातित वृक्षों के बदले 350 नये पौधे का उपयुक्त स्थल पर वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख–रखाव का कार्य हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. 1515 वृक्ष स्थल पर अपने पूर्व स्वरूप में बने रहेगें इन्हें पुनर्स्थापित/ पातित नहीं किया जायेगा।

उक्त निर्णय के साथ बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

29/4/22	29.4.2022	29/04/2022
(प्रद्युम्न गौरव)	(सुधीर कुमार)	(सुरेन्द्र सिंह)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,	वन संरक्षक,	निदेशक, पारि. एवं पर्या.
रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम	वन्यप्राणी अंचल, पटना	

ज्ञापांकः– पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19– 595 दिनांकः– 18/05/2022

प्रतिलिपि– प्रयोक्ता एजेन्सी की अतिरिक्त प्रति के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र की प्रति अपने स्तर से प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करा देगें तथा प्रस्ताव की सभी कंडिकाओं पर अनुपालन उच्चस्तरों को उपलब्ध करायेगें।

निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांकः– पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19– 595 दिनांकः– 18/05/2022

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांकः– पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19– 595 दिनांकः– 18/05/2022

प्रतिलिपि– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पारि. एवं पर्या.